रिपोर्ट [2019] 17 एस.सी.आर.

भारतीय संघ

बनाम

प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी

(2016 की सिविल अपील संख्या 6400)

14 नवंबर 2019

[आर भानुमति, ए.एस. बोपन्ना और

हृषिकेश रॉय, जे.जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 11 - उत्तर रेलवे ने प्रतिवादी को विविध सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए दो अनुबंध दिए - अपीलकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी ने पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्त किया और उसे स्वीकार भी किया - हालाँकि, प्रतिवादी ने दोनों में दावे उठाए अनुबंधों और समझौतों में निहित मध्यस्थता खंड को लागू किया गया और मध्यस्थ की नियुक्ति का अनुरोध किया गया - अपीलकर्ता ने दावे को खारिज कर दिया - इसके बाद, प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 11 के तहत याचिका दायर की और मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की - उच्च न्यायालय ने विवादों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किया पार्टियों ने, समझौते के खंड 64 के अनुसार नियुक्ति का निर्देश देने के बजाय - अपील पर, आयोजित किया: तत्काल मामले में, रेलवे अनुबंधों के विभिन्न मामलों पर विचार करते हुए और स्वतंत्र मध्यस्थों की नियुक्ति को रद्द करते हुए, एम.पी.गुप्ता का हवाला देते हुए, वी.एस.इंजीनियरिंग, परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य निर्णयों में, स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था - जब समझौता विशेष रूप से नामित मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए प्रदान करता है, तो नियुक्ति समझौते के नियमों के अनुसार होनी चाहिए - उच्च न्यायालय सही नहीं था अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 64 की अनदेखी करते हुए एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति - इसलिए, अपीलकर्ता ने समझौते के खंड 64(3) के संदर्भ में मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय

HELD: 1. भारत संघ और अन्य बनाम एम.पी.गुप्ता में। (2004) 10 एससीसी 504, भारत संघ और अन्य बनाम वी.एस. इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड (2006) 13 एससीसी 240, भारत

संघ बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट (2009) 4 एससीसी 523 और निर्णयों की श्रृंखला में, अदालत ने माना कि जब भी समझौता विशेष रूप से नामित मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए प्रदान करता है, मध्यस्थ की नियुक्ति अनुबंध के अनुरूप होनी चाहिए. [पैरा 14]

2. अदालत, वी.एस. में. इंजीनियरिंग ने देखा कि सार्वजनिक संस्थानों के मामले में जो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए अनुरोध का जवाब देने में धीमे हैं, धारा 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को छीना नहीं गया है। मध्यस्थ नियुक्त करने में अधिकारियों की विफलता और जब ठेकेदार ने अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो रेलवे अधिकारी को नियुक्त करना मुख्य न्यायाधीश/नामित न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर होगा। अनुबंध या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। [पैरा 14]

3. रेलवे ठेकों के विभिन्न मामलों पर विचार करते हुए स्वतंत्र मध्यस्थों की नियुक्ति को निरस्त करते हुए म.प्र. गुप्ता और वी.एस. परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियरिंग और अन्य निर्णयों में, इस न्यायालय ने स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति को रद्द कर दिया और रेलवे के महाप्रबंधक को समझौते के खंड 64(3) के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया। परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी का अनुपात सीधे तौर पर हाथ में आए मामले पर लागू होता है। जब समझौता विशेष रूप से नामित मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए प्रदान करता है, तो नियुक्ति समझौते के अनुसार होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 64 की अनदेखी करते हुए एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करना सही नहीं था। [पैरा 15]

एसपी सिंगला प्रा. लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य **(2019) 2 एससीसी 488 - संदर्भित।**

भारत संघ बनाम परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी **(2019) 5 स्केल 453;** *भारत संघ एवं अन्य बनाम एम.पी. गुप्ता* **(2004) 10 एससीसी 504***; भारत संघ एवं अन्य बनाम वी.एस. इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड* **(2006) 13 एससीसी 240: [2006] 9 सप्ल एससीआर 125 ;** *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट* **(2009) 4 एससीसी 523: [2009] 3 एससीआर 563 - पर भरोसा किया गया।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

(2019) 2 एससीसी 488	**पैरा 11**	**को संदर्भित करता है**

(2019) 5 स्केल 453 पैरा 11 पर निर्भर है

(2004) 10 एससीसी 504 पैरा 14 पर निर्भर था

[2006] 9 पूरक। एससीआर 125 पैरा 14 पर निर्भर था

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2016 की सिविल अपील संख्या 6400

ARB.P वाली मध्यस्थता याचिका में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.05.2015 से 2015 की संख्या 168

साथ

2016 की सिविल अपील संख्या 6420

भरत सिंह, राज बहादुर, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए.

कुमारी गीतांजलि मोहन, शांतनु कुमार, राघव अग्रवाल, सलाहकार उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय **आर. भानुमति, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1.ये अपीलें 2015 की मध्यस्थता याचिका संख्या 168 और 2014 की मध्यस्थता याचिका संख्या 531 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15.05.2015 और 02.02.2015 के आक्षेपित निर्णयों से उत्पन्न हुई हैं और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किया था। अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड 64 के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति का निर्देश देने के बजाय, पार्टियों के बीच विवादों का निर्णय, जो यह निर्धारित करता है कि रेलवे के अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

2.संक्षिप्त तथ्य जिनके कारण ये अपीलें दायर की गईं, वे इस प्रकार हैं:-

<u>सीए संख्या 6400/2016 में तथ्य:-</u>

14.07.2010 को, उत्तर रेलवे ने विविध के लिए अनुबंध प्रदान किया। प्रतिवादी को रेवाडी-रोहतक नई लाइन के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग कार्य जैसे एल-एक्सिंग्स पर ड्यूटी हट्स का निर्माण, जल आपूर्ति व्यवस्था, स्टेशन नाम बोर्ड का प्रावधान आदि। स्वीकृत दर पर कार्य की कुल लागत 5,30,31,369.30 रुपये आयी. अंततः कार्य 31.03.2012 को पूरा हुआ। अपीलकर्ता के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को अंतिम भुगतान Vr.No0.00356/104/C/TKJ दिनांक 06.05.2014 के बिल के माध्यम से किया गया था।

उसी दिन यानी 06.05.2014 को, पार्टियों ने एक पूरक समझौता भी किया, जिसमें 06.05.2014 को पूर्ण सहमति और संतुष्टि दर्ज की गई। इसी बीच दिनांक 05.05.2014 को प्रतिवादी ने अपीलार्थी को पत्र भेजकर आरोप लगाया कि परिस्थितियों की मजबूरी के तहत उसे प्रशासन की इच्छा के अनुरूप बिना किसी विरोध के तथाकथित अंतिम बिल पर हस्ताक्षर करना पड़ा, अन्यथा भारी वित्तीय हानि होती। प्रतिवादी को और यह आगे के कार्यों के लिए निविदा देने और निष्पादित करने की स्थिति में नहीं हो सकता है। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी को 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान अभी भी किया जाना बाकी है और अपीलकर्ता को 90 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया है। प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 05.05.2014 के माध्यम से अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 64 के तहत निहित मध्यस्थता खंड को लागू किया।

3. अपीलकर्ता ने दिनांक 25.07.2014 को एक उत्तर जारी किया जिसमें प्रतिवादी के मध्यस्थता दावे को खारिज कर दिया गया, यह रुख अपनाते हुए कि प्रतिवादी ने अंतिम बिल पर हस्ताक्षर किए थे और पूरक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि पार्टियों के बीच यह सहमति हुई थी कि प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया है मुख्य समझौते के तहत सभी बकाया राशि और दावों की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि में उल्लिखित रकम।

4. इसके बाद प्रतिवादी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत 2015 की मध्यस्थता याचिका संख्या 168 दायर की। पक्षों के विवाद पर विचार करने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि यह प्रश्न कि क्या प्रतिवादी द्वारा दबाव में डिस्चार्ज प्रमाणपत्र और पूरक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता होगी और इसलिए, मध्यस्थ द्वारा इसकी जांच की जानी आवश्यक है। जहां तक मध्यस्थ की नियुक्ति का सवाल है, उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि 05.05.2014 को प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता खंड लागू करने के बावजूद रेलवे मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहा, इसलिए रेलवे ने मध्यस्थता खंड और विद्वान न्यायाधीश के तहत अपना अधिकार खो दिया। अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 64 के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति का निर्देश देने के बजाय श्री राम प्रकाश (सेवानिवृत्त), जिला और सत्र न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

<u>सीए नंबर 6420/2016 में तथ्य:-</u>

5. 4,21,69,176.25/- रुपये की लागत पर मुरादनगर रेलवे स्टेशन के पास एल-एक्सिंग के बदले में दो लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए उत्तर रेलवे और प्रतिवादी के बीच दिनांक 17.01.2012 को एक समझौता किया गया था। कार्य दिनांक 03.08.2013 को पूर्ण हो गया। रेलवे के अनुसार, प्रतिवादी को अंतिम बिल संख्या क्रमांक 280 दिनांक 29.01.2014 के माध्यम से पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्त हुआ और सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान को स्वीकार करते हुए दिनांक 01.03.2014 को एक पूरक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इस पूरक समझौते में यह भी प्रावधान किया गया था कि मुख्य समझौता अंततः समाप्त हो जाएगा और उसमें मौजूद मध्यस्थता खंड अस्तित्व में नहीं रहेगा। प्रतिवादी ने दिनांक 15.01.2014 के पत्र के माध्यम से दो दावे किए और मध्यस्थ की नियुक्ति का अनुरोध किया। रेलवे ने प्रतिवादी को सूचित किया कि प्रतिवादी के दावे मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं हैं क्योंकि वे "अपवादित मामले" के अंतर्गत आते हैं। प्रतिवादी-ठेकेदार ने 28.08.2014 को रेलवे को एक "नो क्लेम" पत्र भी भेजा, जिसमें कहा गया था कि उसका रेलवे के प्रति कोई दावा नहीं है और उसके द्वारा की गई सुरक्षा जमा राशि जारी करने का अनुरोध किया गया है।

6. इसके बाद प्रतिवादी ने मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थता याचिका संख्या 531/2014 दायर की। उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि अपीलकर्ता का दावा है कि प्रतिवादी द्वारा उठाए गए विवाद "अपवादित मामलों" की प्रकृति के हैं, लेकिन इस मुद्दे की जांच मध्यस्थ द्वारा की जा सकती है। उन निष्कर्षों के साथ, अदालत ने श्री एच.के. को नियुक्त किया। चतुर्वेदी, एकमात्र मध्यस्थ के रूप में वकील और निर्देश दिया कि मध्यस्थता दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के तत्वावधान में होगी।

7.अपीलकर्ता यूनियन ऑफ इंडिया-रेलवे की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री भरत सिंह ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ की नियुक्ति का अनुरोध संशोधन अधिनियम, 2015 (23.10.2015 से) से पहले किया गया था और इसलिए, कार्यवाही को तदनुसार आगे बढ़ाना होगा अधिनियम, 1996 के पूर्व-संशोधित प्रावधान के साथ। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने जीसीसी के खंड 64 के नियमों और शर्तों के अनुसार एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए महाप्रबंधक, रेलवे प्रशासन को निर्देश देने के बजाय एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने में गलती की। यह निर्धारित करता है कि "अपवादित मामलों" को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री शांतनु कुमार और सुश्री गीतांजलि मोहन ने प्रस्तुत किया कि एक बार अपीलकर्ता मध्यस्थता की धारा 11(6) के तहत याचिका से पहले समझौते की शर्तों के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहा है। अधिनियम, 1996 न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने के कारण, प्राधिकरण मध्यस्थ नियुक्त करने का अपना अधिकार खो देता है और अधिनियम की धारा 11(6) के तहत एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करना मुख्य न्यायाधीश/नामित न्यायाधीश पर निर्भर है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 11(6) अदालत को एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करके, यदि आवश्यक हो, समझौते की शर्तों से विचलित होने का अधिकार देती है। जहां तक इस तर्क का सवाल है कि प्रतिवादी ने पहले ही अंतिम बिल प्राप्त कर लिया है और रेलवे को "नो क्लेम" पत्र जारी कर दिया है, प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि "नो क्लेम" प्रमाणपत्र मजबूरी के तहत जारी किया गया था और यह है कुछ नहीं बल्कि अधिकारियों के अनुचित प्रभाव के कारण और भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए बिलों की जांच करके निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ खुला है और ऐसी परिस्थितियों में, इसे "अपवादित मामला" नहीं कहा जा सकता है।

9. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है। हमने दोनों पक्षों की दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित निर्णय और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

10. प्रतिवादी रेलवे के साथ पंजीकृत ठेकेदार हैं और वे उन्हें सौंपे गए काम के लिए कुछ भुगतान का दावा कर रहे हैं। अनुबंध के खंड 64 का उपयोग करते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रतिवादी(ओं) के अनुरोध को रेलवे ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनके दावों का निपटारा कर दिया गया है और प्रतिवादी(ओं) ने "कोई दावा नहीं" प्रमाण पत्र जारी किया है और "समझौता" दर्ज करते हुए पूरक समझौता निष्पादित किया है। और संतुष्टि" और इसलिए, मामला मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं है। माना जाता है कि, विवाद को संदर्भित करने का अनुरोध संशोधन अधिनियम, 2015 से बहुत पहले किया गया था जो 11.01.2015 से लागू हुआ था। 23.10.2015. चूँकि मध्यस्थ की नियुक्ति का अनुरोध संशोधन अधिनियम, 2015 (23.10.2015 से) से बहुत पहले किया गया था, संशोधित अधिनियम, 2015 का प्रावधान अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में मध्यस्थ कार्यवाही पर लागू नहीं होगा जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत. जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने सही कहा है, प्रतिवादी-ठेकेदारों के अनुरोध की जांच संशोधन अधिनियम, 2015 का सहारा लिए बिना मूल अधिनियम, 1996 के अनुसार की जानी है।

11. जहां तक एसपी सिंगला प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ के बाद मूल असंशोधित अधिनियम, 1996 के प्रावधानों की प्रयोज्यता का सवाल है। ढक्कन. बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और दूसरा (2019) 2 एससीसी 488, भारत संघ में बनाम परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी 2019 (5) स्केल 453, इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था:-

> "26. हमारा यह भी विचार है कि संशोधन अधिनियम, 2015, जो कि 23 अक्टूबर, 2015 को लागू हुआ, उन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा जो मूल अधिनियम, 1996 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार पहले शुरू हुई हैं। संशोधन अधिनियम, 2015 लागू हो रहा है, जब तक कि पार्टियां अन्यथा सहमत न हों।
>
> 27.मौजूदा मामले में, संबंधित अपील में अपीलकर्ताओं द्वारा संशोधन अधिनियम, 2015 के लागू होने से बहुत पहले अनुरोध किया गया था और प्राप्त किया गया था। क्या आवेदन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लंबित था या मध्यस्थ के परिवर्तन/प्रतिस्थापन सहित मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए तत्काल मामले में कोई दावा नहीं होने के कारण अस्वीकृति के मामले में, संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। अधिनियम, 2015, मूल अधिनियम, 1996 की धारा 21 के संदर्भ में। हमारे विचार में, प्रतिवादी ठेकेदारों द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोधों की संशोधन अधिनियम का सहारा लिए बिना मूल अधिनियम, 1996 के अनुसार जांच की जानी चाहिए। 2015 जो 23 अक्टूबर, 2015 से लागू हुआ।"

12.पार्टियों के विवाद की सराहना करने के लिए, अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड 64 का उल्लेख करना आवश्यक है जो निम्नानुसार है:-

"64. (1) मध्यस्थता की मांग:

64. (1) (i) इस अनुबंध के निर्माण या संचालन के बारे में पार्टियों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, या किसी भी मामले पर पार्टियों के संबंधित अधिकारों और देनदारियों, विवाद या किसी भी खाते पर मतभेद या रेलवे द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र को रोकने के संबंध में, जिसके लिए ठेकेदार दावा कर सकता है, या यदि रेलवे 120 दिनों के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में, लेकिन किसी भी "अपवादित मामलों को छोड़कर" इन शर्तों के खंड 63 में संदर्भित, ठेकेदार, 120 दिनों के बाद, लेकिन विवादित मामलों पर अपना अंतिम दावा पेश करने के 180 दिनों के भीतर, लिखित रूप में मांग करेगा कि विवाद या मतभेद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए।

64.(1) (ii) मध्यस्थता की मांग में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा जो प्रश्न में हैं, या विवाद या मतभेद के विषय के साथ-साथ मद-वार दावे की राशि भी निर्दिष्ट की जाएगी। केवल ऐसे विवाद (विवादों) या मतभेदों को, जिनके संबंध में मांग की गई है, रेलवे द्वारा दिए गए प्रतिदावे या मुजरा सहित, मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और अन्य मामलों को संदर्भ में शामिल नहीं किया जाएगा।

64. (3) मध्यस्थ की नियुक्ति:

64. (3) (ए)(ii) ऐसे मामलों में जहां प्रश्न में सभी दावों का कुल मूल्य एक साथ जोड़ा गया है, रुपये से अधिक नहीं है। 25,00,000 (पच्चीस लाख रुपये मात्र), मध्यस्थ न्यायाधिकरण में एक एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा जो रेलवे का राजपत्रित अधिकारी होगा जो जेए ग्रेड से नीचे का नहीं होगा, जिसे महाप्रबंधक द्वारा नामित किया जाएगा। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति उस दिन से 60 दिनों के भीतर की जाएगी जब मध्यस्थता के लिए लिखित और वैध मांग जीएम द्वारा प्राप्त की जाएगी। {प्राधिकरण: रेलवे बोर्ड का पत्र क्रमांक 2012/CE-I/CT/ARB./24, दिनांक 22.10./05.11.2013}

64. (3) (ए)(ii) खंड 64(3)(ए) (1) के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण में तीन राजपत्रित रेलवे अधिकारियों का एक पैनल शामिल होगा जो जेए ग्रेड से नीचे नहीं होंगे या 2 रेलवे राजपत्रित अधिकारी नहीं होंगे मध्यस्थ के रूप में जेए ग्रेड से नीचे और एक सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी, जो एसएजी अधिकारी के पद से नीचे का न हो, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रयोजन के लिए, रेलवे रेलवे के एक या अधिक विभागों के राजपत्रित रेलवे अधिकारियों के 3 से अधिक नामों का एक पैनल भेजेगा जिसमें रेलवे मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए सूचीबद्ध सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। ठेकेदार को उस दिन से 60 दिनों के भीतर जब मध्यस्थता के लिए लिखित और वैध मांग जीएम द्वारा प्राप्त की जाती है। ठेकेदार को रेलवे द्वारा अनुरोध भेजने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ठेकेदार के नामांकित व्यक्ति के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल में से कम से कम 2 नामों का सुझाव महाप्रबंधक को देने के लिए कहा जाएगा। महाप्रबंधक उनमें से कम से कम एक को ठेकेदार के नामांकित व्यक्ति के रूप में नियुक्त करेगा और साथ ही पैनल से या पैनल के बाहर से मध्यस्थों की शेष संख्या भी नियुक्त करेगा, इस प्रकार नियुक्त किए गए 3 मध्यस्थों में से 'पीठासीन मध्यस्थ' का विधिवत संकेत देगा। जीएम ठेकेदार के नामांकित व्यक्तियों के

नाम प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति की इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मध्यस्थों को नामांकित करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि उनमें से एक लेखा विभाग से हो। मध्यस्थ की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए लेखा विभाग के चयन ग्रेड के अधिकारी को रेलवे के अन्य विभागों के एसए ग्रेड के अधिकारियों के बराबर माना जाएगा।

64. (7) उपरोक्त मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों और उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अधीन इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा।

13. उपरोक्त से यह देखा गया है कि जीसीसी के खंड 64(1) के तहत, यदि पार्टियों के बीच कोई विवाद या मतभेद है या संबंधित किसी मामले पर पार्टियों के संबंधित अधिकारों और देनदारियों या किसी अन्य सहायक विवाद से उत्पन्न होता है। अनुबंध की शर्तों या यदि रेलवे प्रशासन उस पर निर्धारित समय के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो ऐसे किसी भी मामले में, लेकिन किसी भी "अपवादित मामलों" को छोड़कर, महाप्रबंधक नीचे बताए अनुसार पदनाम से अधिकारी को नामित कर सकता है। पार्टियों के बीच अनुबंध की शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाले विवाद/मतभेदों को निपटाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए क्रमशः खंड 64(3)(ए)(i) और ए(ii) के साथ आगे की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

14. *भारत संघ एवं अन्य बनाम म.प्र. गुप्ता* **(2004) 10 एससीसी 504**, *भारत संघ और अन्य बनाम वी.एस. इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड* **(2006) 13 एससीसी 240**, *भारत संघ बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट* (2009) 4 एससीसी 523 और निर्णयों की श्रृंखला में, अदालत ने माना कि जब भी समझौता विशेष रूप से नामित मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए प्रदान करता है, मध्यस्थ की नियुक्ति अनुबंध के अनुरूप होनी चाहिए। रेफर करने के बाद म.प्र. गुप्ता, वि.सं. इंजीनियरिंग, इसे इस प्रकार रखा गया था:-

"3. अपीलकर्ता यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 63 और 64 के अनुसार, इस न्यायालय ने बिना किसी अनिश्चित शर्तों के यह माना है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन सामान्य शर्तों के अनुसार किया जाना है। अनुबंध के अनुसार, उच्च न्यायालय को अधिनियम की धारा 11 के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उच्च न्यायालय को

रेलवे महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण को स्वीकार करना चाहिए। इस संबंध में, विद्वान एएसजी ने हमारा ध्यान इस न्यायालय के एक फैसले की ओर आकर्षित किया जो सीधे तौर पर भारत संघ बनाम एम.पी. मामले से संबंधित है। गुप्ता (2004) 10 एससीसी 504 जिसमें अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 64 के संदर्भ में रेलवे के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के संबंध में एक समान प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष आया और इस न्यायालय ने माना कि जहां दो राजपत्रित रेलवे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रूप में, उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए और एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 63 और 64 की शर्तें लगभग वैसी ही हैं जैसी हमारे हाथ में हैं। उस मामले में भी अनुबंध के खंड 64 पर भरोसा करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 505, पैरा 4)

"4. उसमें निहित स्पष्ट प्रावधान के मद्देनजर कि दो राजपत्रित रेलवे अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा, न्यायमूर्ति पी.के. बहरी को उच्च न्यायालय द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सका। अकेले इस संक्षिप्त आधार पर, न्यायमूर्ति पीके की नियुक्ति के फैसले और आदेश को इस हद तक चुनौती दी गई है। एकमात्र मध्यस्थ के रूप में बहरी को अलग कर दिया गया है। आज से 30 दिनों के भीतर, अपीलकर्ता दो राजपत्रित रेलवे अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेंगे। दो नवनियुक्त मध्यस्थ अगले एक माह की अवधि के भीतर संदर्भ में प्रवेश करेंगे

न्यायालय ने, हालांकि पैरा (6) में कहा कि सार्वजनिक संस्थानों के मामले में जो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए अनुरोध का जवाब देने में धीमे हैं, धारा 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है छीना नहीं जाता. मध्यस्थ नियुक्त करने में अधिकारियों की विफलता और जब ठेकेदार ने अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो रेलवे अधिकारी को नियुक्त करना मुख्य न्यायाधीश/नामित न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर होगा। अनुबंध या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश.

15. रेलवे ठेकों के विभिन्न मामलों पर विचार करते हुए स्वतंत्र मध्यस्थों की नियुक्ति को निरस्त करते हुए म.प्र. गुप्ता और वी.एस. परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियरिंग और अन्य

निर्णयों में, इस न्यायालय ने स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति को रद्द कर दिया और रेलवे के महाप्रबंधक को समझौते के खंड 64(3) के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया। पैरा (44) और (45) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:-

"44. निष्कर्ष निकालने के लिए, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय को एक मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया का सहारा लिए बिना एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करना उचित नहीं था, जो कि इनबिल्ट तंत्र के तहत अनुबंध के खंड 64(3) के तहत निर्धारित किया गया है जैसा कि सहमति व्यक्त की गई है।

45. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द किया जाता है और रद्द किया जाता है। अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक प्रतिवादी/ठेकेदार को सूचित करते हुए आज से एक महीने की अवधि के भीतर समझौते के खंड 64(3) के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करें और चूंकि पहले चरण में ही पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है। मध्यस्थ की नियुक्ति में और अधिकांश उत्तरदाता छोटे ठेकेदार होते हैं, प्रत्येक उत्तरदाता द्वारा दावे का विवरण चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए और मध्यस्थ बिना प्रभावित हुए पार्टियों को शीघ्र सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद दावे पर निर्णय ले सकता है। कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से की गई टिप्पणियों से बाधित।"

उपरोक्त निर्णय का अनुपात सीधे तौर पर हाथ में आए मामले पर लागू होता है। जब समझौता विशेष रूप से नामित मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए प्रदान करता है, तो नियुक्ति समझौते के अनुसार होनी चाहिए। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 64 की अनदेखी करते हुए एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करना सही नहीं था।

16. जहाँ तक अपीलकर्ता की दलील है कि अंतिम बिल का निपटान हो गया है/"नो क्लेम" पत्र जारी किया गया है, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान **क्लॉज 43(2) - "नो क्लेम" प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने की ओर आकर्षित किया है** और प्रस्तुत किया कि खंड 43(2) के अनुसार, ठेकेदार काम के अंतिम माप के बाद निर्धारित प्रारूप में रेलवे के पक्ष में "नो क्लेम" प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करता है और ठेकेदार को इसकी शुद्धता पर विवाद करने से रोक दिया जाएगा। "नो क्लेम" प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं या उनके संबंध में मध्यस्थता की मंजूरी की मांग करना। प्रतिवादी की ओर से, यह गंभीर रूप से विवादित रहा है कि 06.05.2014 (सीए नंबर 6400/2016) पर समझौते और संतुष्टि को दर्ज करने वाले पूरक समझौते के रूप में "नो क्लेम" प्रमाणपत्र जारी करना और "नो क्लेम" प्रमाणपत्र जारी

करना 28.08.2014 (सीए नंबर 6420/2016) कि वे मजबूरी के तहत और रेलवे अधिकारियों द्वारा अनुचित प्रभाव के कारण जारी किए गए थे। हम पार्टियों के विवाद के गुण-दोष पर जाने के इच्छुक नहीं हैं। प्रतिवादी(ओं) के दावे और अपीलकर्ता-रेलवे के रुख पर विचार करना मध्यस्थ का काम है। पार्टियों द्वारा उठाए गए इस विवाद को मध्यस्थ के समक्ष उठाए जाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

17. परिणामस्वरूप, 2015 की मध्यस्थता याचिका संख्या 168 और 2014 की मध्यस्थता याचिका संख्या 531 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 15.05.2015 और 02.02.2015 के आक्षेपित निर्णयों को रद्द कर दिया जाता है और इन अपीलों को अनुमति दी जाती है। अपीलकर्ता को प्रतिवादी-ठेकेदारों को सूचित करते हुए आज से एक महीने की अवधि के भीतर समझौते के खंड 64(3) के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। जैसे ही मध्यस्थ की नियुक्ति की सूचना उत्तरदाताओं को दी जाती है), उसके बाद छह सप्ताह के भीतर प्रतिवादी द्वारा दावे का बयान दाखिल किया जाना चाहिए और उसके बाद चार सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता का जवाब दाखिल किया जाना चाहिए। मध्यस्थ कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएगा और दोनों पक्षों को शीघ्रता से, अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद दावे पर फैसला करेगा।

अंकित ज्ञान अपील की अनुमति

आशीष तिवारी की देखरेख में मानसी मिश्रा द्वारा अनुवादित।